सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1638.00	141.73	1779.73	1496.60	141.73	1638.33	1787.00	144.11	1931.11
पूंजी		*4.00*	*1.31*	*5.31*	*3.40*	*1.31*	*4.71*	*7.00*	*1.31*	*8.31*
जोड़		**1642.00**	**143.04**	**1785.04**	**1500.00**	**143.04**	**1643.04**	**1794.00**	**145.42**	**1939.42**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.58	4.58	...	4.58	4.58	...	5.10	5.10
सूक्षण और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)										
2. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	186.80	...	186.80	186.50	...	186.50	122.67	...	122.67
3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान कार्यक्रम	2851	144.00	...	144.00	141.67	...	141.67	244.35	...	244.35
4. अन्य स्कीमें	2851	5.90	...	5.90	4.00	...	4.00	8.25	...	8.25
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2851	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	20.70	...	20.70
6. असंगठित क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग	2851	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
7. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का संवर्धन और सहायता	2851	6.75	...	6.75	0.90	...	0.90	...	...	...
8. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	...	...	...	...	...	...	10.80	...	10.80
9. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	9.89	9.89	...	9.89	9.89	...	10.91	10.91
10. लघु उद्योग संबंधी योजनाओं का संवर्धन	2851	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	...	...
11. लघु उद्योग सेवा संस्थान	2851	...	40.44	40.44	2.50	40.44	42.94	...	...	...
12. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	2851	27.00	...	27.00	26.83	...	26.83	31.18	42.78	73.96
13. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और ग्रोथ पोल	2851	61.20	...	61.20	15.90	...	15.90	45.80	...	45.80
14. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	4.00	...	4.00	1.60	...	1.60	9.75	...	9.75
15. डाटाबेस का अद्यतन करना	2851	18.00	...	18.00	5.65	...	5.65	10.65	...	10.65
16. लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	3601	...	...	...	12.30	...	12.30	16.80	...	16.80
	3602	...	...	...	0.80	...	0.80	1.30	...	1.30
	जोड़	...	...	...	*13.10*	...	*13.10*	*18.10*	...	*18.10*
17. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	...	...	...	1.90	...	1.90	3.50	...	3.50
18. गारंटी शुल्क में छूट										
18.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2851	...	...	...	...	4.04	4.04	...	...	...
घटाइए - निवल की गई प्राप्तियां	0075	...	...	...	...	-4.04	-4.04	...	...	...
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - सूक्ष्म लघु और मद्यम उद्योग (एमएसएमई)		**476.15**	**50.83**	**526.98**	**423.05**	**50.83**	**473.88**	**530.75**	**53.69**	**584.44**
खादी एवं ग्राम उद्योग										
19. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग										
19.01 खादी उद्योग	2851	100.80	55.45	156.25	101.70	55.45	157.15	159.30	55.45	214.75
19.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	53.80	1.00	54.80	53.60	1.00	54.60	55.80	...	55.80
	जोड़	*154.60*	*56.45*	*211.05*	*155.30*	*56.45*	*211.75*	*215.10*	*55.45*	*270.55*
20. ब्याज सब्सिडियां										
20.01 खादी उद्योग	2851	17.10	22.00	39.10	17.10	22.00	39.10	17.10	22.00	39.10
20.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86
	जोड़	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*	*21.60*	*27.36*	*48.96*
21. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	3.00	...	3.00	2.75	...	2.75	3.00	...	3.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम (पूर्ववर्ती खादी बुनकरों हेतु वर्कशेड सह आवास स्कीम)	2851	4.50	...	4.50	1.50	...	1.50	24.95	...	24.95
23. खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा वृद्धि की स्कीम	2851	4.50	...	4.50	1.50	...	1.50	9.95	...	9.95
24. कमजोर संस्थाओं हेतु पोषण निधि सहित खादी संस्थाओं के लिए आधारसंरचना विकास हेतु पैकेज	2851	4.50	...	4.50	1.50	...	1.50	0.90	...	0.90
25. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	400.50	...	400.50	400.50	...	400.50	...	...	...
26. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का पुनर्संरचना	2851	45.00	...	45.00	1.00	...	1.00	...	...	...
27. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	738.00	...	738.00
28. परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि हेतु योजना	2851	23.40	...	23.40	18.90	...	18.90	18.90	...	18.90
29. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण										
29.01 खादी उद्योग	6851	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
29.02 ग्रामोद्योग	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*1.01*	*1.01*	...	*1.01*	*1.01*	...	*1.01*	*1.01*
जोड़-खादी और ग्रामोद्योग		**661.60**	**84.82**	**746.42**	**604.55**	**84.82**	**689.37**	**1032.40**	**83.82**	**1116.22**
30. प्रधान मंत्री रोजगार योजना	2851	288.00	...	288.00	288.00	...	288.00	...	...	...
31. कॉयर उद्योग										
31.01 कॉयर बोर्ड	2851	28.70	2.51	31.21	25.40	2.51	27.91	28.70	2.51	31.21
	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
31.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन	2851	22.50	...	22.50	9.00	...	9.00	22.50	...	22.50
जोड़ - कॉयर उद्योग		**51.20**	**2.81**	**54.01**	**34.40**	**2.81**	**37.21**	**51.20**	**2.81**	**54.01**
32. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान										
32.01 अन्य योजनाएं	2552	1.60	...	1.60	1.50	...	1.50	1.75	...	1.75
32.02 असंगठित उद्यम संबंधी क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोग	2552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
32.03 सूक्ष्म और लघु उद्यमों का संवर्धन और सहायता	2552	0.75	...	0.75	0.10	...	0.10	...	...	...
32.04 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2552	...	...	...	...	...	...	1.20	...	1.20
32.05 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2552	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.30	...	2.30
32.06 विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2552	49.00	...	49.00	42.00	...	42.00	53.50	...	53.50
	4552	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*49.00*	...	*49.00*	*42.00*	...	*42.00*	*54.00*	...	*54.00*
32.07 खादी और ग्रामोद्योग	2552	71.40	...	71.40	68.10	...	68.10	113.60	...	113.60
	6552	4.00	...	4.00	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
	जोड़	*75.40*	...	*75.40*	*69.60*	...	*69.60*	*116.60*	...	*116.60*
32.08 प्रधान मंत्री रोजगार योजना	2552	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	...	...	...
32.09 कॉयर उद्योग	2552	3.80	...	3.80	2.30	...	2.30	3.80	...	3.80
	जोड़	*165.05*	...	*165.05*	*150.00*	...	*150.00*	*179.65*	...	*179.65*
कुल जोड़		***1642.00***	***143.04***	***1785.04***	***1500.00***	***143.04***	***1643.04***	***1794.00***	***145.42***	***1939.42***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	12851	...	48.25	48.25	...	48.25	48.25	...	60.00	60.00
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	1476.95	48.25	1525.20	1350.00	48.25	1398.25	1614.35	60.00	1674.35
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	165.05	...	165.05	150.00	...	150.00	179.65	...	179.65
जोड़		**1642.00**	**48.25**	**1690.25**	**1500.00**	**48.25**	**1548.25**	**1794.00**	**60.00**	**1854.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं**: इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम**: इसके अंतर्गत किसी सम्पार्श्विक के बिना लघु/अतिलघु इकाईयों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर देने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) को अंशदान की व्यवस्था की गई है। इस शीर्ष के अधीन सरकार इस स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रचालन हेतु पोर्टफोलियो जोखिम निधि के सृजन के लिए सिडबी को सहायता प्रदान करेगी, महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लिए सहायता दी जाएगी।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों की गुणवत्ता और कार्यक्रम :** इस शीर्ष के अधीन मुख्य औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान कवर किए जाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औजार कक्ष कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेवश्र, जमशेदपुर, जालंधर और नागपुर में स्थित हैं। डिजाइन वाले औजार मोल्ड, जिग एंव फिक्चर, संघटक आदि उत्पादित करके सू.ल.म.उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग सहायता हेतु उन्हें इन्डो जर्मन एवं इन्डो-डेनिस के सहयोग से आंरभ किया गया है। ये औजार और डाई बनाने वालों को प्रशिक्षण और परामर्श भी प्रदान करते हैं। सू.ल.म.उ. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुंबई एवं हैदराबाद में स्थित हैं। ये उत्पाद विशेष की समस्याओं की देखभाल करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फारजिंग, इलैक्ट्रानिक सुगंध तथा सुरस, स्पोर्ट जूते, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आगरा और चेन्नई स्थित सू.ल.म.उ. के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) निर्यात संवर्धन हेतु फुटवियर डिजाइन विकसित करते हैं, और फुटवियर उद्योग में लगे लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इस शीर्ष में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अधीन शामिल ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति योजना और कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक क्लिन (वीएसबीके) प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मिशन आदि शामिल हैं।

4. **अन्य योजनाएं**: सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान की योजना के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियों को अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा निर्यात संवर्धन और व्यापार संवर्धन एवं निवेश सहबद्धताओं के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध कराने के विचार से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा विदेश स्थित उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संवर्धित करना है।

प्रशिक्षण संस्थान की स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा और नए प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमिता विकास संबंधी प्रयासों को सहायता के लिए समतुल्य (मैचिंग) अनुदान भी दिया जाता है।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)**: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों के विकास के संवर्धन, सहायता और पोषण करने की दृष्टि से उनके वाणिज्यिक पहुलओं पर बल देते हुए एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में वर्ष 1955 में की गई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कच्ची सामग्री की प्राप्ति, उत्पाद विपणन, क्रेडिट रेटिंग, प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, उन्नत प्रबंध पद्धतियों को अपनाने आदि के क्षेत्र में लघु उद्योगों की सहायता के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करता है। अनुदान के माध्यम से बजट सहायता से इसके संवर्धनात्मक कार्यकलापों और सेवाओं का आंशिक वित्त पोषण किया जाता है।

6. **असंगठित क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग**: इसमें आयोग के स्थापना संबंधी और उसके कार्यकलापों के व्यय की व्यवस्था है।

8. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना**: इसमें प्रथम पीढ़ी के संभावित उन उद्यमियों को पथ प्रदर्शन सहायता और सहयोग उपलब्ध कराना है जिन्होंने नए उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में "उद्यमी मित्र" अर्थात चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से ई.डी.पी./एस.डी.पी./ई.एस.डी.पी. या आई.टी.आई. का व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.)**: विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एंव विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक नोडल निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और लघु उद्योगों के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

12. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम**: विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र और सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। एमडीपी/ईडीपी/कौशल विकास, राष्ट्रीय पुरस्कार, सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम उद्यमों की उद्यमिता और प्रबंध विकास के लिए सहायता, विज्ञापन और प्रचार तथा सीनेट परियोजना इस स्कीम के अधीन अन्य कार्यक्रम हैं। कुछ नए संघटक अर्थात चयनित व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से नए उद्यमों के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन और 1200 उद्यमी क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता के लिए एक कार्यक्रम और विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्यय इस शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

13. **एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम तथा एम.एस.एम.ई. वृद्धि पोल**: एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय के महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास तथा परियोजना लागत के लिए उच्च सीमा बढाकर 10 करोड़ रूपए करने पर विशेष घ्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधार संरचना सहायता को भी जोड़ा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केंद्रीय स्थानों पर प्रदर्शीत करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी के संघों को सहायता प्रदान की जाएगी।

14. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रम**: खुदरा बाजार में उत्पादों के सफल अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। एम.एस.ई. द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए बार-कोडिंग के एकबारगी पंजीकरण में लगने वाली लागत के 75% की प्रतिपूर्ति की एक स्कीम कार्यरत है। मध्यम उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ई.ए.एन.इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75% भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उत्पाद पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम आरंभ की जा रही है।

15. **आंकड़ाधार को अध्यतन करना**: वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय गणना के माध्यम से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इकाइयों की संख्या, रोजगार, विकास की दर, सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा/उत्पादन का मूल्य, रूग्णता/बंदी की सीमा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यातों से संबंधित सांख्यिकी और सूचना एकत्रित करेगा। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकडे भी एकत्रित किए जाएंगे।

17. **कार्यालय आवास का निर्माण-ग्रामीण और लघु उद्योग**: क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है

19. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग**

19.02 **अन्य ग्रामोद्योग**: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के

अवसर प्रदान करने और उसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदढ करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में संलग्न है। केवीआईसी की पहचान न्यूनतम प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश पर सतत ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेंद्रित क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन के रूप में की गई है। केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्व-रोजगार सृजित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र खादी/ ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ग्रामीण औद्योगीकरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि जैसे कार्यकलाप संचालित करता है।

ब्याज सब्सिडी

20.01 **खादी उद्योग** :

20.02 **अन्य ग्रामोद्योग** : ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम खादी कार्यक्रम के निधिकरण का प्रमुख स्त्रोत है। इसे निधि की वास्तविक आवयकता और बजटीय स्त्रोतों से उसकी उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए बैंकों से निधियां जुटाने हेतु मई, 1977 में प्रारंभ किया गया था।

आईएसईसी स्कीम के अधीन खादी संस्थाओं की आवयकतानुसार पूंजीगत व्यय तथा साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। बैंकों की वास्तविक ऋण दाय दर और 4 प्रतिशत के बीच का अंतर केवीआईसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा ऋणदाता बैंकों को अदा किया जाता है।

21. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई)**: ग्रामीण औद्योगीकरण को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक और उत्पादक रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण और खादी उद्योगों से संबंधित सभी अनुसंधान और विकास के समन्वयन के लिए यह एक राष्ट्रीय संस्थान होगा। यह आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से परियोजना मोड में कार्यरत है।

22. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम (पूर्ववर्ती खादी बुनकरों हेतु वर्कशेड सह आवास स्कीम)**: इस स्कीम के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही इसी प्रकार की स्कीम के तर्ज पर चयनित आधार पर लगभग 38000 खादी कारीगरों को वर्कशेड उपलब्ध कराने की परिकल्पना है।

23. **खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि की स्कीमः** इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन के साथ-साथ कारीगरों के लिए बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा खादी उत्पादों, रेडीमेड मसलीन खादी, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, आवश्यकता आधारित रंगाई एवं मुद्रण सुविधाओं हेतु बढ़ती मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में ए जमा और ए श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिनमें से 50 संस्थान ऐसे होंगे जिनका प्रबंधन विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता हो। बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले 150 संस्थान (उपर्युक्त 50 के अलावा) भी वित्त के अपने निर्धारित हिस्से का योगदान देंगे।

24. **कमजोर संस्था के लिए पोषण निधि सहित खादी संस्थाओं के लिए अवसंरचना विकास हेतु पैकेजः** इस स्कीम के अंतर्गत चयनित विक्रय केंद्रों का नवीनीकरण करना तथा पिछले वर्षों के दौरान वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गए किंतु केंद्रित सहायता और निरीक्षण से पुनः मजबूत बनने की क्षमता रखने वाले करीब 200 खादी संस्थानों को पोषण निधि प्रदान करने का लक्ष्य है।

27. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**: मौजूदा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम दोनों ही स्कीमें ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीमें हैं जिसमें उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकारों की ओर से वित्तीय आंदान शामिल नहीं है। आरईजीपी की तुलना में पीएमआरवाई के अन्तर्गत ऋणों की वसूली और सब्सिडी स्तर बहुत कम है। परियोजनाओं और इकाईयों के संबंध में, विशेषकर कम मूल्य/लागत पर समावेशी वृद्धि के लिए कमजोर वर्गों के लाभार्थियों हेतु बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ ही इन वर्गों के लाभार्थियों की पहचान करने हेतु और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय करते हुए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के गठन संबंधी प्रस्ताव की सिफारिश व्यय वित्त समिति द्वारा की गई है। विलयित स्कीम से अपेक्षा है कि केवीआईसी द्वारा ग्रामीण लाभार्थियों के कवरेज एवं उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा केवीआईसी द्वारा संचालित और समन्वित किये जाने वाले जांच प्रक्रिया तथा युक्तियुक्त कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग के माध्यम से राज्य सरकारें और अधिक केंद्रित तरीके से कार्य कर सकेगीं। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों का उपयोग प्रशिक्षण, अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष संबंध पर लागत तथा पीएम आरवाई/आरईजीपी के तहत शेष अथवा वचनबद्ध देयताओं को यदि कोई हो, पूरा करने हेतु लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

28. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीमः** मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2005 को पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि (स्फूर्ति) नामक स्कीम का शुभारंभ किया गया, इसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 100 पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों खादी, ग्रामोद्योग एवं कॉयर का व्यापक विकास किया जाना है। क्लस्टर विकास पद्वति के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संकेद्रित पुनर्सृजन हेतु यह प्रथम व्यापक पहल है, केवीआईसी और कॉयर बोर्ड स्कीम के लिए नोडल एजेंसियां हैं। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा किसी संभावित 'ड्रोपआऊट' की स्थिति में आरक्षित/कुशन के रुप में अतिरिक्त क्लस्टरों सहित 124 क्लस्टरों (34-खादी, 64-ग्रामो., और 26 कॉयर) का अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 7 क्लस्टर आरम्भ किए गए हैं। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा 71 क्लस्टरों के लिए वार्षिक कार्य योजना और नैदानिक अध्ययन रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

29. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋणः**

29.01 **खादी उद्योगः** केवीआईसी के कर्मचारियों के लिए ऋण प्रदान करता है।

31. **कॉयर उद्योगः**

31.01 **कॉयर बोर्ड** : इस का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं कॉयर उत्पादों के निर्यात संवर्धन के माध्यम से देश में कॉयर उद्योग का विकास करना है। कॉयर उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम एवं कॉयर बोर्ड के प्रशासनिक खर्चों के लिए निधि का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान किये गये 680 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 750 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

31.02 **कॉयर उद्योगों का नवीकरण आधुनिकीकरण, एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनः** वर्ष 2008-09 के दौरान कॉयर बोर्ड की स्कीमों के लिए कुल 55 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जिसमें कॉयर उद्योग के नवीकरण आधुनिकीकरण और कॉयर उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं, जहां पुराने उनुपयुक्त रैट्ट और करघों का स्थान्नापन करने के लिए सूत कातने वालों और छोटे घरेलू यूनिटों को वित्तीय सहायता का लक्ष्य रखा गया है और वर्कशेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य भी है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और कर्मगारों का अर्जन बढ़ाता है।

32. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजना स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है।